वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 26.06.2025

अधिकारियों के आवास निर्माण की हुई शुरुआत

वाराणसी। डीआईजी कॉलोनी खजुरी में अधिकारियों के आवासीय भवन के पुनर्निर्माण की शुरुआत बुधवार से हुई। वीडीए की ओर से मकबूल आलम रोड के प्लॉट संख्या 58 पर नवीन आवासीय भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इसका अनुमोदन वीडीए बोर्ड की बैठक में किया गया। पुराने भवन को ध्वस्त कर नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत 2.68 करोड़ है। यह कार्य 18 माह में पूरे कराने का लक्ष्य है। ब्यूरो

अमर उजाला—दि0 26.06.2025

शहर की अवैध प्लॉटिंग कराएं ध्वस्त : अपर सचिव

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। कहा कि शहर में हो रहे अनियोजित विकास, अवैध प्लाटिंग को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराएं। लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा कर शीघ्र मानचित्र निस्तारण के लिए कहा। वार्ड शिवपुर, सिकरौल में कुल शमन धनराशि 1,81,21,857 रुपये जमा कराई गई। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया। पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो

अमर उजाला—दि0 26.06.2025

वीडीए ने दो अवैध निर्माण सील कर पुलिस को सौंपा

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को दो अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। मदनपुरा टाकातल्ला के जमील अख्तर, अतिउर्रहमान की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृति कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसके लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। शिवपुर के होलापुर में भी बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, छोटी पियरी में राजेश यादव की ओर से कराए जा रहे अवैध निर्माण को वीडीए ने सील कर दिया। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.06.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी । विकास प्राधिकरण, वाराणसी के कार्यालय

कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 16.06.2025 से 22.06.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 10,80,391.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-1,81,21,857.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार एवं फील्ड स्टाफ उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.06.2025

जोन-03 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी

वाराणसी। वार्ड-चौक, भवन संख्या-सी0के0 63/48. छोटी पियरी के अन्तर्गत राजेश यादव

द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 227.00 वर्गमीटर में भूतल पर ढलाई का निर्माण कार्य करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था अतः आज दिनांक 25/06/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परफेक्ट मिशन–दि0 26.06.2025

जोन 01 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को किया सील

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।जिसमें वार्ड-शिवपुर, मौजा-होलापुर के अन्तर्गत ममता द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 80.00 वर्गमीटर में भूतल पर पिलर का निर्माण कार्य करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी ।

परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था बुधवार

को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 26.06.2025

डी.आई.जी. कॉलोनी में अधिकारियों के आवासीय भवन के पुनर्निर्माण कार्य की हुई शुरुआत

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा डी.आई.जी. कॉलोनी, खजुरी, मक़बूल आलम रोड स्थित प्लॉट संख्या 58 पर अधिकारियों के लिए नवीन आवासीय भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इस कार्य को वाराणसी विकास प्राधिकरण की 132वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्राप्त हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पुराने भवन को ध्वस्त कर पुन: नवीन भवन (स्टिल्ट + 3 तल) का निर्माण किया जा रहा है।

कुल अनुमोदित लागत 268.24 लाख है, जिसमें भवन निर्माण से संबंधित समस्त कार्य जैसे आर.सी.सी., फिनिशिंग, आंतरिक विद्युतीकरण, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, मशीन रूम आदि शामिल हैं।निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। यह कार्य आगामी 18 माह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.06.2025

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किये

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन तीन में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। चौक वार्ड में छोटी पियरी के अन्तर्गत राजेश यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर ढलाई का निर्माण कार्य करने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। लेकिन निर्माणकर्ता की तरफ से स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था अतः स्थल को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जोन-तीन में दशाश्वमेध वार्ड के मदनपुरा, मोहल्ला-टाकातल्ला, के अंतर्गत जमील अख्तर, अतिउर्रहमान द्वारा बिना नक्शा पास कराए ढलाई का निर्माण कार्य करने नोटिस की कार्यवाही की गयी थी लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे सील कर दिया गया। इसी प्रकार जोन एक में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। शिवपुर वार्ड के मौजा-होलापुर के अन्तर्गत ममता द्वारा बिना नक्शा पास कराये पिलर का निर्माण कार्य करने पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे सील कर दिया गया।

आज–दि0 26.06.2025

छोटी पियरी सहित दो नवनिर्मित भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्गके निर्देशपर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये गये भवन निर्माणके विरुद्ध काररवाई की गयी। वार्ड चौक, भवन संख्या सी.के.६३/४८ छोटी पियरी, भवन स्वामी राजेश यादवने बिना विभागकी अनुमति या मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कर रहे थे। जानकारी होनेपर विभागने इन्हें कार्य बन्द करने की नोटिस भेजी थी लेकिन भवन स्वामी अवकाशके दिनों और रात्रिमें चोरी-छिपे भवनका निर्माण कराना शुरू कर दिया। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति, अवर अभियन्ता रवीन्द्र प्रकाश, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और प्रवर्तन दलकी मौजूदगीमें भवनका निर्माण सील कर दिया गया और उसे संबंधित थानेके सुपुर्द कर दिया गया। इसी प्रकार दशाश्वमेधमें भवन संख्या डी ३१/१७०, मदनपुरा मोहल्ला टाकाटल्लामें जमील अख्तर बिना मानचित्रके भवनका निर्माण करा रहे थे। शिकायतके आधारपर इनको कार्य बन्द करानेका नोटिस दी गयी। लेकिन ये भी अवकाश और रात्रिमें चोरी-छिपे मकानका निर्माण करा रहे थे। यहां भी जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ती सबदल पहुंचकर भवनको सील कर दिया और संबंधित थानेकी सुपुर्दगीमें सौंप दिया। वार्ड शिवपुर मौजा होलापुर भवन स्वामिनीने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जबकि इसके लिए उन्हें नोटिस भेजी गयी थी लेकिन चोरी-छिपे कार्य करानेका क्रम जारी रहा। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियन्ता रोहित कुमार और प्रवर्तन दलके सुपरवाइजर, क्षेत्रीय पुलिसकी उपस्थितिमें भवनको सील कर दिया गया।